



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-384 राँची, शुक्रवार,

30 जुलाई, 2021 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
संकल्प

15 जुलाई, 2021

**संख्या- 5/आरोप-1-25/2016 का०-3209 --** राँची श्री परमानन्द बासिल कुमार डांग (सेवानिवृत्त झा०प्र०से०) के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों, राँची के पद पर कार्यावधि से संबंधित माननीय लोकयुक्त, झारखण्ड के न्यायालय में दायर परिवाद सं०-01/लोक(पेयजल)-01/2012- अख्तर हुसैन खान, अधिवक्ता, राँची बनाम श्री संजय कुमार, कार्यपालक अभियंता एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.10.2013 की प्रति अवर सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4461, दिनांक 13.11.2013 द्वारा उपलब्ध कराया गया ।

माननीय लोकायुक्त द्वारा आदेश में लोकायुक्त अधिनियम की धारा-12(3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) श्रीमती शालिनी विजय, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों (2) श्री परमानन्द बासिल कुमार डांग, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों एवं (3) श्री लियाकत अली, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा किया गया है। मा० लोकायुक्त की अनुशंसा के आलोक में उक्त पदाधिकारियों के विरुद्ध विभाग स्तर पर प्रपत्र-‘क’ का गठन किया गया ।

प्रपत्र-‘क’ में श्री परमानन्द बासिल कुमार डांग के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित किया गया:-

(क) श्री परमानन्द बासिल कुमार डांग, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा लोक सेवकों के साथ मिलकर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत चान्हों प्रखण्ड के विभिन्न ग्रामों में बिना शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कराये ही फर्जी विपत्र तैयार कर सरकारी राशि का गबन किया गया है।

(ख) इनके द्वारा भुगतान के पूर्व न तो योजना का निरीक्षण किया गया और न ही अनुश्रवण किया गया, जो सरकारी कार्य के प्रति शिथिलता एवं लापरवाही का परिचायक है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-6334, दिनांक 19.06.2014 द्वारा श्री डांग के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया है, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। तत्पश्चात् श्री सिन्हा के स्थान पर विभागीय संकल्प सं०-3928, दिनांक 29.04.2015 द्वारा श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन पत्रांक-30/2015, दिनांक 29.02.2016 द्वारा श्री डांग के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री डांग के विरुद्ध गठित आरोप को प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया।

श्री डांग के विरुद्ध आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-8999, दिनांक 11.12.2018 एवं स्मार पत्रों द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में उपायुक्त, राँची के पत्रांक-230(ii)/स्था०, दिनांक 15.02.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपायुक्त, राँची द्वारा संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच एवं मंतव्य को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया।

श्री डांग के विरुद्ध आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं उपायुक्त, राँची के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री परमानन्द बासिल कुमार डांग, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों, राँची को आरोप मुक्त किया जाता है।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री परमानन्द बासिल कुमार डांग, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**ओम प्रकाश साह,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----